



Neutral Citation No. - 2026: AHC:6377

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 31115 सन् 2025

शोयेब

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:- ए.जेड. खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री श्री ए.जेड. खान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री अजय सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक शोयब की ओर से स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/20/60 के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 53 of 2026 में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि आवेदक के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद किया जाना कथित है। बरामद अवैध माल वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में आवेदक के कब्जे से कोई ऐसी बरामदगी नहीं की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस बरामदगी की स्वतंत्र साक्षी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, अतः इस अपराध में उसकी मिथ्या संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक सर्वथा निर्दोष है तथा उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने एवं पीड़ित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत अपराध में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक, जो 05.02.2025 से कारागार में है, 11 प्रकरणों की आपराधिक पूर्ववृत्त है जिसकी पर्याप्त व्याख्या की गई है, को जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है, यह कहते हुए कि विचारण-पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जो अवैध माल की आपूर्ति में लिप्त है, अतः आवेदक किसी उदारता का पात्र नहीं है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदक पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

प्रकरण के तथ्यों एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि होने पर प्रदत्त दंड की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, बड़े जन-हित/राज्य-हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक **शोयेब** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक विचारण में किसी स्थगन की माँग किए बिना ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि या अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।



उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण-पत्र को मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी, 2026

दीपक

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।